No.7-35/99-NCG
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
20-Ashoka Road, Sanchar Bhawan, New Delhi-1

Dated:1.11.1999

To

All Heads of Telecom Circles
All Heads of Telecom Distt.
All Heads of other Telecom Units
Chief General Manager, MTNL, New Delhi/Mumbai.

Sub:-Telecom Tehcnical Asstt.(TTA) Recruitment Rules, 1999(Amendment).

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Telecom Technical assistant (TTA) Recruitment Rules (Amendment), 1999 for your reference and information.

These rules have been published in Gazette of India dated 26.10.99 vide G.S.R.No.718(E).

(J.B.JAIN)
Asstt.Dir.Gen.(STC)

Endst. No. HRD/R-12/TTA/Rlg/25 Dated at Chd. the 15-11-1999.

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. All Heads of SSAs in Punjab Telecom. Circle.
2. Director,RTTC, Rajpura/DET , CTSD Mohali.
3. All recognised Unions/Federations/Assosciations in Punjab Telecom. Circle.

(RAMESHWAR DASS)
Assistant Director(HRD)
o/o C.G.M.T.Pb. Circle,
Chandigarh-160 022.

(iii) ऐसे तकनीशियन जिनके पास 10 + 2 अर्हता या समतुल्य अर्हता है।

(iv) ऐसे तकनीशियन जिनके पास मैट्रिकुलेशन के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दो वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र है।

(आ) प्रोन्नति

दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारियों में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अर्थात्:—

(क) (i) ऐसे दूरसंचार प्रचालन सहायक, जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या

(ii) ऐसे ज्येष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक, जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है। जिसके अंतर्गत दूरसंचार प्रचालन सहायक के रूप में की गई सेवा भी है।

और जिनके पास 10 + 2 स्तर प्रमाणपत्र या समतुल्य है।

(ख) (i) ऐसे दूरसंचार मैकेनिक जिनके पास 10 + 2 स्तर प्रमाणपत्र या समतुल्य है और

(ii) ऊपर आमेलन से संबंधित मद 'अ' में निर्दिष्ट तकनीशियनों से भिन्न तकनीशियन जिन्होंने अपने-अपने काडर में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :

प्रोन्नति के लिए पदधारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चयन, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण 2 :

आमेलन से पूर्व प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए चयन सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी, अर्थात् :—

(i) उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे पदधारियों को सामूहिक रूप से निम्नतर श्रेणी में कार्य कर रहे पदधारियों से ऊपर रखा जाएगा।

(ii) एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे ऐसे पदधारियों को जिनकी सेवा की अवधि दीर्घतर है उनसे ऊपर रखा जाएगा जिनकी सेवा की अवधि अल्पतर है।

टिप्पण 3 :

दूरसंचार तकनीकी सहायक, सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र काडर होगा और भर्ती का यूनिट संबंधित सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र होगा।

टिप्पण 4 :—दूरसंचार तकनीकी सहायक के काडर में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके अपने-अपने कोटे में प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण 5 :—आमेलन के कोटे में नहीं भरा गया पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

[फा. 7-35/99-एनसीजी]

जे. बी. जैन, सहायक महानिदेशक (एस. टी. सी.)

टिप्पण :—मूल भर्ती नियम सा. का. नि. 42, तारीख 6 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1999

G.S.R. 718(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Telecom Technical Assistant Recruitment Rules, 1998, namely :—

(1) These rules may be called the Telecom Technical Assistant (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Telecom Technical Assistant Recruitment Rules 1998 :—

(a) in column 11, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"50% by Direct Recruitment,

10% by absorption

40% by promotiol through Limited Departmental competitive examination.";

(b) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(A) Absorption :

From amongst the following Group 'C' employees, namely :

(i) Phone Inspectors/Transmission Assistants/Wireless Operators/Auto Exchange Assistant.

(ii) Employees borne on regular establishment of Telecom Engineering Wing of the Department and possessing a minimum qualification of 3 years' Engineering Diploma in Telecommunications Engineering/Electronics Engineering/Radio Engineering/Computer Engineering/Instrument Technology or its equivalent from any Technical institute recognised by the Central Government after 10th Standard.

(iii) Technicians having 10 + 2 qualification or equivalent qualification.

(iv) Technicians holding 2 years ITI diploma certificate after matriculation.

(B) Promotion :

Through limited departmental competitive examination from amongst the following Group 'C' employees of Telecom engineering Wing, of Department of Telecom, namely :

(a) (i) Telecom Operating Assistant (TOA) with five years' regular service or

(ii) Senior Telecom Operating Assistant (Sr. TOA) with five years' regular service (including the service rendered as Telecom Operating Assistant),

holding 10+2 standard certificate or equivalent.

(b) (i) Telecom Mechanic holding 10+2 standard certificate or equivalent, and

(ii) Technicians, other then Technicians referred to in item 'A' relating to Absorption above,

With 5 years' regular service in the respective cadres.

Note 1

For promotion, officials will be selected for training on the basis of the marks obtained in the limited departmental competitive examination.

Note 2

Select list shall be prepared for the purpose of training before absorption in the following order, namely :

(i) The officials working in the higher grade would be placed enbloc above those working in the lower grade.

(ii) The official working in same pay scale, having longer length of service would be placed above those having lesser length of service.

ote 3

Telecom Technical Assistant (TTA) will be Secondary Switching Area (SSA) cadre and the unit of recruitment shall be the respective Secondary Switching Area (SSA).

Note 4

The Seniority on appointment of candidates in the cadre of Telecom Technical Assistant shall be determined on the basis of post-training marks in their respective quota.

Note 5

Unfilled post in the quota of Absorption will be filled by promotion.

[No. 7-35/99-NCG]

J.B. JAIN, Asstt. Director Gen. (ST-C)

Note :—The Principal recruitment rules were published vide GSR No. 42 dated 6-2-99.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AGM(SEF)

AD (HRD)

(5)

पंजाब परिमण्डल
3
15 FEB 1999
Pb. Circle
Chandigarh-160 022

12-42/90-NCG
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
20-Ashoka Road, Sanchar Bhavan, New Delhi-1

Dated: 11.2.1999

To,

All Heads of Telecom Circles
All Heads of Telecom Distt.
All Heads of other Telecom Units
Chief General Manager, MTNL, New Delhi/Mumbai.

Sub:-Telecom Technical Assistant (TTA) Recruitment Rules, 1998.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Telecom Technical Assistant (TTA) Recruitment rules, 1998 for your reference and information.

These rules have been published in Gazette of India dated 6.2.99 vide G.S.R.No.42.

(J.B.JAIN) 11/2
Asstt.Dir.Gen.(STC)
T.No.3032468

Copy to:-

1. DDGs(E)/(Pers.)/(SR)/.DOT, New Delhi.
2. Director's (TE)/(ST-I)/(ST-II)/(SR)/Trg. FA-I), DOT, New Delhi.
3. ADG's(TE/STG/STN/SCT/FA-I/DE/Trg, DOT New Delhi.
4. All recognised Unions/Federations/Associations.
5. FA-I/TE-II/STG-I/STG-II/STN/NCG/SCT/ DE/Trg.Sections.
6. Secretary Staff Departmental Council (JCM).

(A.MAHALINGAM)
Section Officer(NCG)

Endst.No. HRD/R-12/TTA/RR6 Dated at Ch. the 24/2/99
Copy forwarded for information, Guidance and necessary action to:-
1) All S.S.A. Heads in Punjab Telecom Circle
2) The Director R.T.T.C. RAJPURA

(R.K. SHARMA)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/98 REGISTERED NO. D. L.—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1999/माघ 17, 1920
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1999/MAGHA 17, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1999

सा. का. नि. 42 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम 1991 को अधिक्रांत करते हुए, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से, विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. बंधपत्र और प्रशिक्षण :—

(i) सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों पर अनंतिम रूप से भर्ती किए गए सभी अभ्यर्थी दूरसंचार तकनीकी सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उस प्रोफार्मा में, जो विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे।

(ii) रिक्तियों के सीधी भर्ती वाले कोटे और रिक्तियों के विभागीय प्रोन्नति वाले कोटे दोनों के अधीन चुने गए अभ्यर्थियों को दूरसंचार तकनीकी सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व विभाग द्वारा यथाकथित प्रशिक्षण योजना के अनुसार विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

(iii) सीधे भर्ती किए गए दूरसंचार तकनीकी सहायक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उतनी वृत्तिका (प्रशिक्षण भत्ता) के, जितनी विभाग द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जाए, हकदार होंगे।

6. प्रादेशिक सेना/सिगनल यूनिट के अधीन सेवा :—सभी अभ्यर्थियों का (सीधे भर्ती किए गए और विभागीय दोनों) यह दायित्व होगा कि, यदि ऐसा अपेक्षित किया जाए तो, वे प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित प्रादेशिक सेना सिगनल यूनिटों में सेवा करें।

7. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
दूरसंचार तकनीकी सहायक	13249* लगभग 31-3-98 की तिथि के अनुसार *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय अराजपत्रित अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच	लागू नहीं होता (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की बाबत शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बाबत शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है। ऊपरी आयु सीमा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की बाबत भी तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के

7
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी/विद्युत इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य।	नहीं	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11	12
आमेलन/प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदधारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों में से आमेलन/प्रोन्नति द्वारा : प्रवर्ग I बाक-इन माध्यम से (1) फोन निरीक्षक/परीक्षण सहायक/बेतार प्रचालक/फोटो एकसचेंज सहायक (2) विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के नियमित स्थापन से के ऐसे समूह "घ" कर्मचारी, जिनके पास दसवीं कक्षा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी संस्थान से दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य न्यूनतम अर्हता हो। (3) ऐसे तकनीशियन, जिनके पास 10+2 अर्हता या समतुल्य अर्हता है। (4) ऐसे तकनीशियन, जो मैट्रिकुलेशन के पश्चात् दो वर्षीय आई टी आई डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारण किए हुए है। प्रवर्ग—II अर्हक स्क्रीनिंग परीक्षण के माध्यम से (1) प्रवर्ग I के उपप्रवर्ग (2), (3) और (4) के भीतर आने वाले तकनीशियनों से भिन्न तकनीशियन। (2) ऐसे दूरसंचार मैकेनिक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रवर्ग-III प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से (1) ज्येष्ठ दूरसंचार प्रचालन सहायक (2) दूर संचार प्रचालन सहायक

(9)

12

(3) दूरसंचार मैकेनिक

टिप्पण 1

रिक्तियां प्रथमतः प्रवर्ग I के अभ्यर्थियों द्वारा छांट-छंट के माध्यम से भरी जाएंगी। प्रवर्ग I के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् भरी न गई रिक्तियां प्रवर्ग II के अभ्यर्थियों द्वारा यहां स्क्रीनिंग परीक्षण के माध्यम से भरी जाएंगी। यद्यपि स्क्रीनिंग परीक्षण प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् शेष भरी न गई रिक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी और यदि रिक्तियां तब भी शेष रह जाती हैं तो वे सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ चयन सूची टिप्पण 2 के अनुसार तैयार की जाएगी।

टिप्पण 2

आमेलन/प्रोन्नति से पहले प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ चयन सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी :

(1) ज्येष्ठ काडर से संबंधित कर्मचारियों को संबंधित काडरों में विद्यमान ज्येष्ठता को अव्यवस्थित किए बिना, सामूहिक रूप से उन कर्मचारियों से ऊपर रखा जाएगा जिन्हें कनिष्ठ काडर में रखा गया है।

(2) समतुल्य वेतनमान वाले काडरों की ज्येष्ठता का अवधारण संबंधित काडर में विद्यमान परस्पर-ज्येष्ठता को अव्यवस्थित किए बिना संबंधित श्रेणी में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण 3

दूरसंचार तकनीकी सहायक (टी. टी. ए.) सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र काडर होगा, भर्ती का यूनिट संबंधित सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र (एस. एस. ए.) होगा और ऐसे सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र (एस. एस. ए.) में की गई नियमित सेवा को हिसाब में लिया जाएगा।

टिप्पण 4

दूरसंचार तकनीकी सहायक के काडर में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ज्येष्ठता का अवधारण प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे : 1. एक अधिकारी जो मंडलीय इंजीनियरी की पंक्ति से नीचे का न हो —अध्यक्ष 2. दो अधिकारी, जो उप-मंडलीय इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 7-51/97-एस. टी. जी.]

के. डी. जैन, सहायक निदेशक सामान्य (एस टी-जी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 25th January, 1999

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Telecom Technical Assistant Recruitment Rules, 1991, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telecom Technical Assistant in the Department of Telecommunications, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecom Technical Assistant Recruitment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Bond and training—

(i) All candidates provisionally recruited against the vacancies for direct recruitment shall execute a Bond for a period of five years from the date of their appointment as Telecom Technical Assistant in the proforma as may be specified by the Department.

(ii) The candidates selected both against the direct recruitment quota of vacancies and departmental promotion quota of vacancies shall, before their appointment as Telecom Technical Assistant, shall undergo the prescribed training successfully as per the training plan laid down by the Department.

(iii) During the period of training, the direct recruit Telecom Technical Assistant will be entitled to stipend (training allowance) as decided by the Department from time to time.

6. Service under Territorial Army/Signal Unit.—All candidates (both direct recruit and departmental) shall, if so required, be liable to serve in the Territorial Army/Signal units as provided in the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948) and the rules made thereunder.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1.	2.	3.	4.
Telecom. Technical Assistant	13,249* approx. As on 31-3-98 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4,500-125-7,000.

(11)

Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added yea of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Pension Rules, 1972
5	6	7
Not Applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in respect of general candidates and upto 45 in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. The upper age limit is also relaxable by three years in respect of Other Backward Class candidates). Note :— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba District of Himcahal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Three years Engineering Diploma in Telecommunications Engineering/Electronics Engineering/Electrical Engineering/Radio Engineering/Computer Engineering/Instrument Technology or its equivalent from a recognised institution.	No	Two years

Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By absorption/promotion failing which by Direct recruitment 50% by Direct Rectt. 10% by absorption 40% by promotion through Limited Deptl. Competitive Examination	By absorption/promotion from amongst the following categories of officials. Category-I through Walk-in (1) Phone Inspectors/Transmission Assistants/Wireless Operators/Auto Exchange Assistants

(2) Group 'C' employees borne on regular establishment of Telecom Engineering wing of the department and possessing a minimum qualification of 3 years Engineering Diploma in Telecommunications Engineering/Electronics Engineering/Radio Engineering/Computer Engineering/Instrument Technology or its equivalent from any Technical Institute recognised by the Central Government after 10 Standard.

(3) Technicians who have 10+2 qualifications or equivalent qualifications.

(4) Technicians holding 2 years ITI Diploma certificate after matriculation.

Category-II through Qualifying screening test

(1) Technicians other than the Technicians covered by sub-categories (2), (3) and (4) of category I.

(2) Telecom. Mechanics with 5 years of regular service in the grade.

Category-III through competitive examination

(1) Senior Telecom Operating Assistants.

(2) Telecom Operating Assistants.

(3) Telecom Mechanic.

Note 1.

The vacancies shall first be filled by candidates of category-I through walk-in. The unfilled vacancies after providing for Category I candidates shall be filled by candidates of category II through qualifying screening test. After providing for qualifying screening test category candidates, the remaining unfilled vacancies shall be filled through competitive examination and if the vacancies still remain unfilled, the same would be filled by direct recruitment. Select list for purpose of training will be prepared as per note 2.

Note 2.

The select list shall be prepared for the purpose of training before absorption/promotion in the following order :

(i) Officials belonging to senior cadre would be placed enbloc above those placed in the junior cadre, without upsetting the existing seniority in their respective cadres.

(ii) The seniority among the cadres having equivalent pay scale would be determined on the basis of length of service in the respective grade without upsetting the existing inter-se-seniority in the respective cadre.

Note 3.

Telecom Technical Assistant (TTA) will be Secondary Switching Area cadre the unit of recruitment shall be the respective Secondary Switching Area (SSA), and the regular service rendered in such SSA shall be taken into consideration.

12

Note 4. The seniority on appointment of candidates to the grade of Telecom Technical Assistant shall be determined on the basis of post training marks.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of the following officers :— 1. One Officer not below the rank of Divisional Engineer. —Chairman 2. Two officers not below the rank of Sub-Divisional Engineer.—Members.	Not applicable

[No. 7-51/97-NCG]

J. B. JAIN, Asstt. Director Genl. (ST-C)

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-3300

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921
No. 520] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1999

सा.का.नि. 718(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार तकनीकी सहायक (संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार तकनीकी सहायक भर्ती नियम 1998 की अनुसूची में :—

(क) स्तम्भ 11 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

10 प्रतिशत आमेलन द्वारा,

40 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।"

(ख) स्तम्भ 12 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

(अ) आमेलन

निम्नलिखित समूह 'ग' कर्मचारियों में से अर्थात् :—

(i) फोन निरीक्षक/पारेषण सहायक/बेतार प्रचालक/आटो एक्सचेंज सहायक

(ii) विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी खंड के नियमित स्थापन में के ऐसे कर्मचारी, जिनके पास दसवीं कक्षा के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी संस्थान से दूरसंचार इंजीनियरी/इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी/रेडियो इंजीनियरी/कम्प्यूटर इंजीनियरी/उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय इंजीनियरी डिप्लोमा या उसके समतुल्य न्यूनतम अर्हता है।